अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा

माहेश्वरी जाति का यह वृहत संगठन है। उसकी शाखाएँ न केवल भारतभर में फैली हुई है, अपितु नेपाल, बांग्लादेश तथा अमेरिका में भी है। माहेश्वरी समाज के साथ-साथ अन्य समाज की उन्नति करना, यह इस संगठन का उद्देश्य है। यह संगठन समाज में समयानुकूल परिवर्तन का प्रयास करते हुए, माहेश्वरी समाज राष्ट्र का प्रगतिशील अंग कैसा बनेगा, उसकी ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश करता आया है। सन् १८८१ में अजमेर में स्व. श्री लोईवालजी, किशनगढ़ के दीवान की अध्यक्षता में समाज संगठन की नींव रखी गई तथा माहेश्वरी महासभा की स्थापना हुई। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि माहेश्वरी समाज का यह संगठन सर्वप्रथम जातीय संगठन था। इस सभा के उद्देश्यों के प्रचार के लिए माहेश्वरी नामक पत्र निकाला गया जिसकी प्रतियाँ देश भर के सभी माहेश्वरी सज्जनों को भेजी गयी। मासिक रूप में माहेश्वरी का प्रकाशन अजमेर में प्रारम्भ हुआ। सन् १८८४ में माहेश्वरी महासभा द्वारा नियुक्त उपसभा के प्रयासों से सहारनपुर में श्री नथमलजी मेहता (दीवान, जैसलमेर) की अध्यक्षता में प्रथम माहेश्वरी कान्फरेन्स हुई, जिसमें १६ प्रस्ताव स्वीकृत हुए। उनमें निम्न प्रस्ताव प्रमुख थे :-

१. पंजाबी, मारवाड़ी जैसलमेरी, ढुढाढी, जयपुरी बीकानेरी आदि सभी बन्धुओं से आपस में प्रेम और विवाह संबंध करने का अनुरोध किया गया।

२. विवाह तथा मृत्यु आदि अवसरों पर मर्यादा से ज्यादा खर्च करने पर निषेध किया गया।

३. कन्या के बदले धन लेना निषेध माना गया।

४. गरीब माहेश्वरी भाइयों की सहायता करने का विचार किया गया।

५. अनाथ माहेश्वरी की रक्षा के लिए अनाथालय, शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापित करना तथा विधवा एवं अपाहिजों की सहयाता करने की अपील की गई।

६. बाल विवाह का निषेध किया गया तथा विवाह के समय लड़की की आयु १४ तथा लड़के की आयु १८ वर्ष से कम न हो ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया।

देश में माहेश्वरी समाज ही सबसे पहला समाज है जिसने बाल विवाह का निषेध किया और ऐसा ही प्रस्ताव केन्द्रीय एसेम्बली में दीवान बहादुर हरविलास जी शारदा (अजमेर) द्वारा रखा गया, जो शारदा एक्ट नाम से विख्यात हुआ। यह एक्ट १९३० में पास हुआ। अर्थात कानून बनने के पहले माहेश्वरी महासभा समाज में इसका प्रचार कर चुकी थी। सन् १८९५ में द्वितीय माहेश्वरी कान्फरेन्स मथुरा में आयोजित की गई। इसमें कन्या विक्रय की निन्दा, बाल विवाह के निषेध, वृद्ध विवाह की निन्दा, ओसर-मोसर करने का निषेध एवं अन्य सामाजिक कुरितियों का निषेध किया गया। सन् १८९६ में तृतीय माहेश्वरी कान्फरेन्स अजमेर में वैश्य सभा के साथ आयोजित की गई। इसका निमंत्रण देश भर में माहेश्वरी सज्जनों के पास भेजा गया था।सन् १८९८ में दिल्ली में चतुर्थ अधिवेशन वैश्य महासभा के साथ सम्पन्न हुआ। सन् १९०० में अलीगढ़ में पंचम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इसके बाद इस महासभा का कार्य बंद हो गया। १० वर्ष की अवधि में सभा ने माहेश्वरी समाज में जागृति का ठोस एवं महत्वपूर्ण कार्य किया। सन् १९०८ में माहेश्वरी सभा का प्रार्दुभाव हुआ और पहला अधिवेशन अमरावती में सम्पन्न हुआ, जिसमें राजा गोकुलदासजी मालपानी-अध्यक्ष तथा श्री कृष्णदासजी जाजू-प्रधानमंत्री चुने गये। उस अधिवेशन में ७-८ हजार समाज बंधु पधारे थे, इस अधिवेशन में मुख्यतः निम्न प्रस्ताव पारित हुये :-

अकारण न सगाई तोड़ी जाए, २५ वर्ष से कम आयु व्यक्ति की मृत्यु होने पर मोसर न किया जाए, विवाह में वधु की आयु वर से कम चार वर्ष कम होनी चाहिए, कन्या विक्रय पर बंधन, ४५ वर्ष की आयु के बाद विवाह न किया जाये, विवाह से पूर्व जनेऊ कर लेना चाहिए। सन् १९१२ में दूसरा अधिवेशन नागपुर में श्री सेठ फतेहचंद सावणा (राठी) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री कृष्णदासजी जाजू-प्रधानमंत्री थे। इस अधिवेशन में करीब २ हजार से ज्यादा समाज बन्धु पधारे थे, इसमें यज्ञोपवीत संस्कार यथासमय करने का अनुरोध तथा बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। ओसर संबंधी नियम राज्यभर में सामाजिक रूप से जारी करने संबंधी जोधपुर महाराज से प्रार्थना की गई। इस अधिवेशन में रूपये ५० हजार का शिक्षा कोष स्थापित हुआ। सन् १९१३ में अलीगढ़ में श्री भागीरथ दास जी भूतड़ा के प्रयत्नों से श्री जैसलमेरी माहेश्वरी महासभा स्थापित हुई तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गिरधारी लाल जी केला ने की। इसमें उपरोक्त से मिलते जुलते छः प्रस्ताव स्वीकृत हुए। सन् १९१४ में श्री जैसलमेरी महासभा स्थापित हुई तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गिरधारी लाल जी केला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें श्री जैसलमेरी माहेश्वरी महासभा का नाम बदलकर माहेश्वरी महासभा कर दिया गया। इस माहेश्वरी सभा के कुल छः अधिवेशन हुए। तीसरा मेरठ में, चौथा दिल्ली में श्री राय बहादुर श्याम सुन्दर लोईवाल की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें पहला प्रस्ताव नाम परिर्वतन के बारे में था। इस प्रस्ताव में माहेश्वरी सभा का नाम श्री माहेश्वरी महासभा किया गया (जो शुरू में जैसलमेरी माहेश्वरी महासभा), जिसमें इतिहास लिखने संबंधी, विवाह में दो गौत्र टालने,

नवयुवकों की कला-कौशल की शिक्षा देने, विदेश भेजने एवं उनकी सहायता करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। पाँचवा अधिवेशन १९१६ में कोलकाता में श्री रायबहादुर श्यामसुन्दरजी लोईवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें करीब सात प्रस्ताव पारित हुए। जिसमें वैश्या नृत्य, अश्लील गायन, अतिशबाजी, फिजूलखर्ची बंद करने संबंधी तथा हिन्दी भाषा अपनाने संबंधी प्रस्ताव तथा वेश भूषा सुधारने का अनुरोध किया गया। सन् १९१७ में पाली में श्री किरोड़ीमलजी मालू की अध्यक्षता में माहेश्वरी महासभा का तृतीय अधिवेशन हुआ। श्री शिववल्लभजी मानधन्या प्रधानमंत्री थे। इस अधिवेशन में १३ प्रस्ताव पारित हुए जिसमें मुख्यतः यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार करने, शिक्षा प्रचारार्थ संस्थाएँ खोलने के संबंध में तथा बाल, वृद्ध, बेजोड़ विवाह, कन्या विवाह, फिजूलखर्ची आदि का निषेध किया गया। महासभा की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया तथा कार्यकारिणी का नाम माहेश्वरी मंडल रखा गया। सन् १९२० में श्री माहेश्वरी महासभा (जैसलमेरी) का छठा अधिवेशन अलवर में हुआ। उसमें दोनो महासभाओं को सम्मिलित महासभा का चतुर्थ अधिवेशन आकोला में दीवान बहादुर श्री वल्लभदासजी मालपानी (जबलपुर) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसके स्वागत मंत्री श्री बृजलालजी बियाणी थे। अधिवेशन में करीब २ हजार बंधू पधारे थे। इस अधिवेशन में महासभा के उद्देश्य और नियम निर्धारित किए गये। छात्रवृत्ति देने का उपक्रम इसी अधिवेशन में शुरू हुआ। सन् १९२२ में कोलकाता में दोनो सभाओं का संयुक्त अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसका निमंत्रण अकोला के अधिवेशन में ही मिला था। श्री कृष्णदासजी जाजू ने अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया। श्री रामकृष्णजी मोहता तथा श्री गोविन्दासजी मालपानी मंत्री थे। इस अधिवेशन में इस संस्था का नाम अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा किया गया। इस अधिवेशन में श्री जाजू जी ने स्वदेशी तथा राष्ट्रीय आदोंलन का समर्थन किया। अधिवेशन मे २३ प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसमें पर्व अधिवेशनों के अनेक प्रस्ताव दोहराये गये थे। सन् १९२३ में छठा अधिवेशन इन्दौर में सम्पन्न हुआ। श्रीमान राकृष्णजी मेहता ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। श्री गोविन्ददासजी मालपानी एवं श्री बृजवल्लभदासजी मूंधडा मंत्री तथा उपमंत्री चुने गये। कोलकाता अधिवेशन की तरह इन्दौर अधिवेशन में भी महासभा ने स्वदेशी अपनाने का अनुरोध किया। इस अधिवेशन में करीब २० प्रस्ताव पारित हुए। इस प्रस्तावों में प्रायः पूर्व प्रस्ताव दोहराये गये थे। महासभाओं द्वारा महासभा अधिवेशन कोष के लिए रूपये २० हजार स्थाई रखने का निश्चय किया गया। महासभा समयोचित सुधार की पुकार उठाने वाली संस्था थी। इसलिए प्राचीन पंथी लोगो के सीथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। यह सघंर्ष कोलवार प्रकरण के रूप में सामने आया। सन् १९२४ में मुम्बई में सातवाँ अधिवेशन सेठ श्री गोविन्द दासजी मालपानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री रामकृष्णजी मोहता तथा आईदानजी मोहता मंत्री तथा उपमंत्री शामिल थे। इस अधिवेशन में कलाकार प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ। इस कारण वातावरण बहुत कुष्ब्ध था। फिर भी अनेक प्रस्ताव पारित हुए। श्री घनश्यामदासजी बिड़ला ने सुझाव दिया कि माहेश्वरी बालकों के लिए छात्रवृत्तियाँ रखी जायें। इस दरम्यान भारत में पंचायतों के द्वारा महासभा से विरोध का वातावरण बनाने का प्रयत्न हुआ। कोलवार माहेश्वरियों के संबंध में पुनः जाँच करने हेतु द्वितीय कोलवार कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें १४ सदस्य थे। इनकी रिपोर्ट के अनुसार कोलवार माहेश्वरी शुद्ध माहेश्वरी है। तथा उनसे विवाह करने के संबंध बहिष्कार नीति अपनाने संबंधी अतिरेक हुआ था। इस अधिवेशन में सामाजिक बहिष्कार प्रथा के निषेध का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार माहेश्वरी महिला परिषद की स्थापना हुई। सन् १९२९ में नौवाँ अधिवेशन धामगाँव में रावसाहेब श्री रूपचंदजी लाठी (जलगाँव) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री राधावल्लभजी लडढा तथा श्री नंदकिशोरजी गोदानी महामंत्री एवं सहमंत्री थे। इस अधिवेशन में पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति थी। इस अधिवेशन में पर्दा प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की गई। श्री घनश्यामदासजी बिड़ला ने रूपये ५१ हजार की राशि माहेश्वरी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु प्रदान की। सन् १९३१ में दसवाँ अधिवेशन देवलगाँव (राजा) में विदर्भ केशरी श्री बृजलालजी मूंधड़ा मंत्री बने। इसके बाद महासभा के सूत्र श्री बियाणी जैसे प्रतिभा सम्पन्न नेता के हाथ में रही। इस अधिवेशन में पहली बार विधवा विवाह के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि बाल विधवाओं की संख्या ज्यादा हो रही है यदि उनकी इच्छा हो तो उनके विवाह का समाज विरोध न करें। इसी अधिवेशन में माहेश्वरी पत्र का भार उदीयमान युवक श्री रामगोपालजी माहेश्वरी के हाथों में दिया गया एवं प्रकाशन कार्य नागपुर में आरम्भ किया गया। सन् १९३४ में ग्यारहवाँ अधिवेशन अजमेर में श्री गोविन्द दासजी मालपानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री वृंदावन दासजी बजाज मंत्री थे। कोलवार प्रकरण लेकर मुम्बई अधिवेशन में उत्पन्न हुआ संघर्ष और पंढरपुर, धामनगाँव तथा देवलगाँव तक चला संघर्ष असमय शांत हो चुका था। इस अधिवेशन में अनेक राजनैतिक एवं सामायिक प्रस्ताव पारित हुए। महात्मा गाँधी के हरिजन आंदोलन के प्रति सहानुभूति की गई। स्त्रियों की घूंघट प्रथा, उनकी उन्नति में बाधक एवं शारिरिक हास का कारण बताते हुए शीघ्र हटाने का अनुरोध किया गया। इस अधिवेशन में महासभा की नियमावली में संशोधन किया गया। उसमें भविष्य तथा श्री राधकृष्णजी लाहोटी (मुम्बई) मंत्री थे। इस अधिवेशन में विधवा विवाह के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ। सन् १९४६ में महासभा का चौदवाँ अधिवेशन स्वर्ण जंयती के रूप में

ग्वालियर में श्री गुलाबचंद नागौरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री राधाकृष्णजी लाहोटी मंत्री थे। इस अधिवेशन में प्रथम बार समाज में बढ़ रही दहेज प्रथा का विरोध किया गया। ग्वालियर अधिवेशन के पश्चात महासभा के कार्य में कुछ शिथलिता आई, संगठन निष्क्रिय हुआ। ग्वालियर अधिवेशन में आगामी अधिवेशन के लिए जयपुर का निमंत्रण आया था। परन्तु परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण अधिवेशन नहीं हुआ। सन् १९६० में नागपुर में श्री रामजी गोपाल माहेश्वरी के निवासपर बैठक होकर श्री बृजलाल जी बियाणी एवं श्री रामगोपालजी माहेश्वरी की प्रेरणा से महासभा को पुनःसक्रिय बनाने हेतु सात सदस्यों की कार्यसंचालन समिति गठित की गई। सन् १९६१ में महासभा का पन्द्रहवाँ अधिवेशन दिल्ली में रायबहादुर श्री शिवरतनजी मोहता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री रामकृष्णजी धूत प्रधानमंत्री चुने गये। इस अधिवेशन में तपोधन श्री कृष्णदासजी जाजू स्मृति में १० लाख का ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया। सन् १९६७ में महासभा का सोलहवाँ अधिवेशन बीकानेर समाज के कर्मठ जनसेवी श्री रामगोपालजी माहेश्वरी (नागपुर) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुम्बई के श्री रामजी तापड़िया प्रधानमंत्री चुने गये। उसी अधिवेशन में एक छात्रावास निर्माण का निश्चय किया गया। जिसके लिए रूपये ६० हजार के आश्वायन प्राप्त हुए तथा श्री कृष्णदास जाजू ट्रस्ट के लिए रूपये ४० हजार की राशि के आश्वासन प्राप्त हुआ। इस अधिवेशन में लघु औद्योगिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। शारदा एक्ट के प्रणेता स्वः दीवान बहादुर हरविलासजी शारदा की जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया गया। श्री माहेश्वरी जी ने पंचायत संघर्ष काल में टूटे स्थानीय संस्थाओं से पुनः प्रस्थापित कर संगठन को दृढ़ एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया। साथ-साथ आर्थिक रचनात्मक कदम उठाने की भी उतनी ही आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होनें कानपुर कार्यकारी मंडल की बैठक में कर्तव्य निर्देश के रूप में आचार संहिता बनाने की प्रेरणा दी। यह आचार संहिता स्वीकृत हुई। सन् १९७२ में सत्रहवाँ अधिवेशन कोलकाता में सम्पन्न हुआ। बीकानेर अधिवेशन से समाज का कुशल नेतृत्व करने की वजह से श्री रामगोपालजी माहेश्वरी पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री प्रसाद तोषनीवाल प्रधानमंत्री चुने गये। इस अधिवेशन में अखिल भारतवर्षीय युवा संगठन का प्रार्दुभाव हुआ। कानपुर कार्यकारी मंडल बैठक में पारित आचार संहिता के चार सूत्र मान्य हुये। (१) विवाह संबंध में मांग व ठुकराव न हो की। (२) सगाई का तिलक रूपये १०१ से ही किया जाय (३) विवाह प्रसंगो पर दिखावा आदि न हो (४) विवाह के सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से सम्पन्न हों। जाजू ट्रस्ट का लक्ष्य रूपये २५ लाख किया गया तथा लक्ष्य पूर्ति हेतु देशव्यापी दौरों का आयोजन करने का निश्चय हुआ। सन् १९७६ में नागपुर में अठारहवाँ अधिवेशन पूना के श्री लक्ष्मीनारायणजी राठी की अध्यक्षता में भव्य रूप में सम्पन्न हुआ। श्री निवासजी लाखोटिया (कोलकाता) महामंत्री चुने गये। श्री राठी जी ने आगामी सत्र के लिए एक प्रोग्राम दिया तथा आचार संहिता पर पुनः विशेष बल दिया। अधिवेशन अतिभव्य था तथा उपस्थिति लगभग १० हजार व्यक्तियों की थी। सन् १९८२ में उन्नीसवाँ अधिवेशन अलीगढ़ में श्री हरिकिशन मुछालजी (इन्दौर) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्री रघुनाथ दासजी सोमानी (कोलकाता) महामंत्री चुने गये। सन् १९८५ में बीसवाँ अधिवेशन इन्दौर में हुआ। श्री रघुनाथदासजी सोमानी, अध्यक्ष तथा हरिनारायणजी सादानी महामंत्री चुने गये। सन् १९८४ में तपोधन श्री कृष्णदासजी जाजू का शताब्दी वर्ष था। इस अवसर पर कार्यकारी मंडल के सभी सदस्यों को जाजू जी का चित्र व स्टीकर भेजे गये एवं उनकी स्मृति में उनकी जीवनी प्रकाशित की गई, जिसका नाम राजनीति का विकल्प था। इसी स्तर में अखिल माहेश्वरी महासभा के इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रथम खण्ड अमृत बल्लरी नाम से १९८५ के अंत में प्रकाशित हुआ। दूसरा अंक १९८६ मे। इन ग्रन्थों में महासभा की यात्रा १९६२ से लेकर १९३० तक लिखी गई। इस स्तर में जाजू ट्रस्ट से धनसंग्रह हेतु एवं सामाजिक विचार क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने के लिए व्यापक भ्रमण हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, जिसके फलस्वरूप नये-नये कार्यकर्ता महासभा से जुडे। मेरिज ब्यूरो व सामूहिक विवाह का भी प्रचार-प्रसार हुआ। पूवोत्तर में महासभा की स्थापना के बाद पहली बार गोवाहाटी में कार्यकारी मंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें आसाम व आस-पास के क्षेत्र में बहुत बड़ी जागृति हुई। सन् १९८९ में तिरूपति मे कार्यकारी मंडल का २१ वाँ अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें मद्रास के समाज सेवी श्री बाल कृष्णजी कोठारीजी ने सभापति का पद ग्रहण किया तथा वाराणसी के श्री गोवर्धन लालजी झंवर महामंत्री चुने गये। इस अधिवेशन में जाजू ट्रस्ट की १ करोड़ लक्ष्य पूर्ती की घोषणा की गई। सन् १९९४ में महासभा का २२ वाँ अधिवेशन जैसलमेर में आयोजित किया गया, जिसमें हैदराबाद के बद्रीनारायण राठी ने सभापति पद ग्रहण किया। इस सत्र में प्रादेशिक संगठन श्रृंखलाबद्ध करना, प्रादेशिक ट्रस्ट, सम्मेलनों का आयोजन करना आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। सन् १९९५ को जनगणना वर्ष घोषित किया गया और सभी प्रान्तों की जनगणना की गई। सन् १९९८ में इंचलकरंजी में महासभा का २३वाँ अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में हैदराबाद में निर्वाचित हुए सभापति श्री बंसीलालजी राठी ने पद ग्रहण किया। श्री ओंकारनाथ जी मालपानी का महामंत्री पद पर पुनः निर्वाचन हुआ। इस सत्र में हर जिले में जिला सभा स्थापित करने का प्रयास करना, प्रादेशिक ट्रस्ट का प्रत्येक प्रान्त में निर्माण करना, प्रान्तवार विवाह सहयोग केन्द्र तथा परिचय कराने पर जोर देना, व्यापार उद्योग सहयोग केन्द्र द्वारा युवाओं को व्यापार करने में सहयता करना, प्रोफेशनल सेल तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

आदि बातें मुख्यतः करने का निश्चय हुआ। आदित्य विक्रम बिड़ला व्यापार सहयोग केन्द्र द्वारा जरूरतमंद को व्यवसाय हेतु ५० हजार रूपये तक का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया। अति विशेष परिस्थितियों में १ लाख तक की सहायता करने की भी योजना बनाई गई। करीब ५५० समाज बन्धूओं ने इस योजना से व्यापार हेतु सहयोग प्राप्त किया। इसी प्रकार स्वः श्री रामगोपालजी माहेश्वरी की स्मृति में एक शिक्षा कोष भी बनाया गया। साथ ही विदेशों में शिक्षा के लिए भी कर्ज दिया जायेगा। गाँधीधाम में अ.भा. माहेश्वरी महासभा के नाम से छात्र-छात्राओं हेतु दो हास्टल का निर्माण भी इस सत्र की विशेष उपलब्धि रही हैं। २४ वे सत्र हेतु उदयपुर में जुलाई २००२ कोलकाता के सुप्रसिद्ध समाजसेवी चुन्नीलालजी सोमानी अध्यक्ष का भार संभाला जिनका निर्वाचन सितम्बर २००१ में उज्जैन बैठक में हुआ था। उदयपुर में नागपुर के युवा समाज सेवी युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष तथा महासभा के निवर्तमान संगठन मंत्री श्री श्याम सुन्दर जी सोनी महामंत्री चुने गये।